


05.08.25

पत्रावली वैश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित।
वकील प्रार्थीगण को बार-बार अवसर देने के
उपरान्त भी अपार्थी की तलबी नहीं कराई गई
है। प्रकण दिनांक 15.09.22 से लम्बित है।
अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
तलबी के अभाव में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली षड् तरतीब तकमील
होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय
में सुनाया गया। 

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS